झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ०सं०–08 / ज०सं०(नि०) भू–अर्जन–10–01 / 2018 ...... / राँची, दिनांक ....

आदेश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह–उपायुक्त, पलामू के पत्रांक– 117 दिनांक– 12.04.2018 के द्वारा श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के द्वारा नगरपालिका आम / उप चुनाव 2018 के चुनाव कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने एवं विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के पत्रांक– 147 दिनांक– 04.04.2018 द्वारा बिना सूचना के कार्यालय से दिनांक– 24.12.2017 से 20.03.2018 तथा पुनः दिनांक– 25.03.2018 से अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी प्रतिवेदन के साथ इन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है।

2. अतएव श्री प्रेम कुमार तियू के द्वारा नगरपालिका आम चुनाव / उप चुनाव–2018 के कार्य में लापरवाही बरतने तथा दिनांक– 24.12.2017 से 20.03.2018 तक तथा पुनः दिनांक– 25.03.2018 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए श्री तियू को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') गठित कर विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव विचाराधीन है।

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक : 3102 राँची / दिनांक 18/7/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले०एवं ह०), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मेदिनीनगर / संयुक्त सचिव, प्रशाखा–14, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर / विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू / श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/07/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N)_Bhu_Argan_10_01_2018_(Prem Kumar Tiu).docx 1